न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2020/225 (2020/00091)

1. रामप्रसाद पुत्र लादू,
2. रामेश्वर पुत्र हरजी,
3. प्रहलाद पुत्र छोटू,
4. वासुदेव पुत्र छोटू,

समस्त जाति धाकड़, निवासी कुम्हारिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचंद्र पुत्र रामनाथ, जाति धाकड़, निवासी कुम्हारिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 28.1.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 27/2019.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 28.1.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सुनारिया, तहसील सरवाड़ के खाता संख्या 188—187 खसरा नंबर 270 रकबा 20 बीघा भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण/अपीलांटस संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है । उक्त वर्णित आराजी में आने जाने व कृषि आराजियात में एवं ऊपज प्राप्त निकालने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी आराजी खसरा नंबर 267 रकबा 1—9—00 बीघा भूमि में से होकर है जो कि प्रार्थीगण की आराजी के चारो तरफ डली हुई पाल नुमा है जिसके लगवा ही अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 275 स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के लगवा अप्रार्थी की पालखसरा संख्या 276 स्थित है । प्रार्थीगण उक्त पाल से आज करीब 25 वर्ष पूर्व से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से आराजी के अपने उपयोग उपभोग में लेते

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

चले आ रहे है । इसके लगवाही अप्रार्थी संख्या 1 की पाल स्थित है । अप्रार्थी सरवाड़ तहसील में ही राजस्व अधिकारी पटवारी गिरदावर के रूप में कार्यरत है । खसरा संख्या 275 क्रय करने के पश्चात् राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण यकी आमद रफत की पाल खसरा संख्या 267 व अप्रार्थी के आमद रफत की पाल खसरा संख्या 276 दोनों ही अलग–अलग होने के उपरांत भी उक्त पाल को चिन्ह को नष्ट भ्रष्ट कर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में कांट–छांट कर उक्त आराजियात को एक शामलाती करवा करवा दिया जो अवैध है । अप्रार्थी धन बल एवं बाहुबल के आधार पर वाद वर्णित आराजियात को नाप चोप करवाने के बहाने प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में आ रहे एक मात्र रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है एवं ऐलानियां धमकी दे रहे है तथा प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 28.1.2020 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस संवत् 2028, 2027 वाके ग्राम सुनारिया से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 267 सरकारी आराजियात है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी के चारो तरफ पाल के रूप में है । उक्त पाल के सटती हुई खसरा संख्या 276 अप्रार्थी की खातेदारी की आराजियात पृथक से नक्शा ट्रेस में दर्शाई हुई है जिसे बाद में कांट छांट कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 267 में मिलाया गया है जो कि स्पष्टतया राजस्व नक्शा ट्रेस में कांट छांट की गई है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती एवं स्वंय की खातेदारी की आराजियात में आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व इंद्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के प्रार्थना पत्र का विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना किया गया है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संया 1 का संपूर्ण आराजियात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 270 रकबा 20 बीघा आराजी में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता सरकारी आराजी खसरा संख्या 267 से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी में आता है । उक्त आराजी को स्वंय की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 276 में अप्रार्थी द्वारा मिलाया जाकर आवागमन को बाधित किया जा रहा है । जिस बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को एकमात्र आराजी खसरा संख्या 267 का सिवायचक होना वर्णित करते हए निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य आराजी खसरा संख्या 267 के संदर्भ में पेश नहीं की गई है । अवैधानिक रूप से उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक मात्र प्रथमदृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन आराजी खसरा संख्या 267 के सिवायचक होना वर्णित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के सक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक व अधिकारों का निस्तारण किया जाना शेष है यदि वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त

आराजियात को रहन, बय मुंतकिल किया जाता है या खुर्द बुर्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत् प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विधिवत् रूप से विवेचना करना चाहिये था । अपीलांट प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वंय की खातेदारी आराजी नंबर 270 पर काबिज काश्त है जिसके चारो तरफ स्थित खसरा नंबर 267 में से आवागमन करता रहा है जिसे रेस्पो0 द्वारा स्वंय के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा संपूर्ण आराजियात जिससे रेस्पो0 का कोई सरोकार नहीं है, को पाबंद नही करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.1.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 26.2.2020 को प्रमाणित प्रति तैयार कर प्रदान की गई व उक्त प्रमाणित प्रति व रूपये पैसे की व्यवस्था कर प्रार्थीगण अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुति हेतु पत्रावली दी । राज्य सरकार द्वारा महामारी के चलते दिनांक 22.3.2020 को लॉक डाऊन किये जाने की स्थिति में उक्त पत्रावली समयावधि 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं की जा सकी व इसके पश्चात् लॉक डाऊन खुलने पर बिना किसी देरी के अपील पेश की है । अतः दिनाक 22.3.2020 से 15.6.2020 तक की समयावधि को कण्डोन करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथन मिथ्या एवं मनगढ़त होने से अस्वीकार है क्योंकि अपीलांट का अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 28.1.2020 की प्रति दिनांक 26.8.2020 को मिल गई थी तो अपीलांट कब अजमेर आया व कब अभिभाषक से संपर्क किया, अपने प्रार्थना पत्र में इसका अंकन नहीं किया है । अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.3.2020 से 15.6.2020 तक के लॉक डाऊन को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार कराना चाहते है जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नकल मिलने की दिनांक 26.2.2020 से 21.3.2020 करीब 26 दिन के समय का अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है । इस प्रकार अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.1.2020 की जानकारी होने से नकल लेने के बाद भी जानबूझकर उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है इसलिये किसी प्रकार से मियाद कण्डोन करने का अधिकारी नही है । अतः मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट गरीब काश्तकार नहीं होकर प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि रेस्पो0 को हैरान परेशान करने व उनकी खातेदारी की जमीनों को हड़पने व सरकारी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से रेस्पो0 की खातेदारी आराजी में जाने के आवागमन रास्ते को अवरूद्ध करने की नियत से दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । सरकारी भूमि खसरा नंबर 286 रकबा 0.23 है0 गैर मुमकिन पालन को नष्ट कर अपने खेत में मिलाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विरोधाभाषी कथन कर रहे है । एक तरफ प्रार्थी अपने खातेदारी खेत पर काश्त करना कथन कर रहा है दूसरी और दावे व प्रार्थना पत्र में सरकारी खाते में दर्ज खसरा संख्या 286 किस्म गैर मुमकिन पाल को अपने कब्जे काश्तकारी की आराजी बताकर मनगढ़त व झूठें कथनों के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है । वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 286 गै0मु0पाल सरकारी खाते में दर्ज है व खसरा संख्या 296 गै0मु0पाल अप्रार्थी व उसके भाईयों की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण/अपीलांटस का कोई लेना देना नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी के सहखातेदारों को परेशान करने की नियत से व सरकारी खाते के खसरा नंबर 286 गे0मु0पाल की भूमि किये गये नाजायज अतिक्रमण को छिपाने व अतिक्रमण की कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र व वाद पेश किया है । खसरा संख्या 286 व 296 से अपीलांटस को कोई संबधं नहीं है । अपीलांट ने बिना कब्जे के आधार के ही धारा 188 राज0काश्त0अधि0 का वाद पेश कर रेस्पो0 संख्या 1 व राज0 सरकार को पाबंद कराना चाहता है और अतिक्रमण की कार्यवाही से बचना चाहता है । अपीलांट ने खसरा नंबर 296 के समस्त खातेदारों को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वाद व अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है । अपीलांट ने धारा 88 व 188 के तहत दावा पेश किया है तथा अनुतोष में खसरा नंबर 286 व 296 की नक्शा दुरूस्ती हेतु अनुतोष चाहा है । इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है ना ही कब्जा है इसलिये बिना कब्जे व खातेदार के किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 286 जो कि वर्तमान व पूर्व के रिकार्ड में सिवायचक गै0मु0पाल है । उक्त खसरा का राजस्व नक्शा पुराने व हाल खसरा नंबर में एक समान है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि गत खसरा नंबर 267 के हाल खसरा नंबर 286 सिवायचक भूमि है जिसको वादी एवं प्रतिवादी पाल की आड़ में मिलीभगत कर स्वंय की आराजी में मिलाने पर आमादा है । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से साबित है कि वादी का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार सिवायचक भूमि पर नहीं बनता है एवं तहसीलदार सरवाड़ द्वारा भी खसरा नंबर 285 पर गै0मु0पाल बाबत् बेदखली हेतु नोटिस जारी किया गया है जिससे साबित है कि विपक्षीगण सरकारी आराजियात को अनाधिकृत रूप से हड़पने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है । अतः उपरोक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धार 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नंबर 267 हाल खसरा नंबर 286

सिवायचक दर्ज है । अपीलांटस ने सिवायचक भूमि बाबत् रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है । अपीलांटस विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में नहीं पाया जाता है तथा किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की भी संभावना नहीं है । एक खातेदार ही अपनी आराजी में किसी अन्य खातेदार/व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.1.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल की जाती है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर